

निर्णय नं इजाहारा प्रकाश राणपुरीहित आर्ष.प.प.स. जिला कलक्टर पूर्व जिला मजिस्ट्रेट जयपुर  
प्रकरण संख्या : 10/2023 (मुक्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. सत्त्वारासम पुत्र शिवू राम जाति माली निवासी चौवडिया वाली दानी, तहसील चाकसू, जिला जयपुर मागील।

प्राथी

बनाम

सौख्या पुत्र शन्ना जाति माली निवासी चौवडिया वाली दानी, तहसील चाकसू, जिला जयपुर मागील।

अप्राथी

मुक्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 236 आर ही एक्ट 1956 बाबत सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम के समक्ष विचारशील प्रकरण संख्या 10/2019 ब सनवानी समगोपाल बनाम नाथूलाल व अन्य को अन्यत्र समक्ष न्यायालय में मुक्तकिल किये जाने बाबत।

सुपरिथत-

1. श्री सक्देश कुमार शर्मा अधिवक्ता प्राथी की ओर से।
2. श्री मनोज कुमार अजमेश अधिवक्ता अप्राथी की ओर से।

निर्णय

दिनांक 08.02.2024

1. संक्षेप में मुक्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम के समक्ष प्रकरण संख्या 10/2019 ब सनवानी समगोपाल बनाम नाथूलाल व अन्य विचारशील है। जिले सुपरिथत अधिकारी चाकसू न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुशेष किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर धर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम से विन्यूतार टिप्पणी तलब की गई। अप्राथी की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज कुमार अजमेश ने सुपरिथत हो कर तत्कालतनामा पेश किया।
3. बहस सभ्य पक्ष सुनी गई।
4. प्राथी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त सनवानी वाता पूर्व में सुपरिथत अधिकारी चाकसू को यहाँ प्रस्तुत हुआ था और यही पर चला था इसी वजह से एस डी ओ चाकसू की न्याय प्रणाली से प्राथी के रजिस्ट्र नही होने की वजह से माननीय न्यायालय के समक्ष ट्रान्सफर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा सहायक कलक्टर प्रथम के यहाँ पत्रावली ट्रान्सफर हुई थी। उक्त प्रकरण में जयपुर न्यायालय में सुपरिथत होने पर ज्ञात होता है कि कभी वर्क सरपेण्ड, कभी कन्डीलेन्स जिराकी वजह से प्राथी आये दिन किराया भाड़ा लगा कर सुपरिथत होते है, किन्तु कोई कागजाती नहीं होती है तथा वर्तमान में पूर्व पीठासीन अधिकारी का तबावला हो जाने से प्राथी उक्त प्रकरण पुनः सुपरिथत अधिकारी चाकसू न्यायालय में ही ट्रान्सफर करवाना चाहता है। पताकार चाकसू जिला जयपुर के स्थायी निवासी है।

34  
शिला कलक्टर  
जयपुर



तथा वहीं पर निवास करते हैं तथा ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति हैं जो प्रत्येक पेशी पर चाकसू से जयपुर किराया भाड़ा लगा कर एवं समय अभाव के कारण आने में असमर्थ हैं। अतः उक्त प्रकरण को सुनवाई हेतु चाकसू न्यायालय में अन्तरित करने के आदेश फरमावें।

अप्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी ने जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण में देरी किये जाने की मन्त्रा से झूठे तथ्य अंकित करते हुये पूर्व में चाकसू से जयपुर स्थानान्तरित करवाया था। अब फिर जयपुर से चाकसू करवाने के लिए यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम, जयपुर जिला के अधीनस्थ आता है तथा उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जयपुर जिला ग्रामीण के अधीन आता है। एक जिले से दूसरे जिले में पत्रावली स्थानान्तरित किये जाने का अधिकार मान्य न्यायालय को नहीं है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

प्रार्थी ने जिला कलक्टर जयपुर के अधीन आने वाले सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम में लम्बित उक्त उनवानी प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी चाकसू जो कि जिला कलक्टर जयपुर ग्रामीण के अधीन आता है, में स्थानान्तरित किये जाने का निवेदन किया है। इस न्यायालय को प्रकरण को जयपुर जिला में ही स्थानान्तरित किये जाने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है, एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्त कायदा न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)

जयपुर